रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2097] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 2097] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2648(अ).—जबकि नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (खापलांग) [जिसे इसमें इसके पश्चात एन एस सी एन (के.) कहा जाएगा] का नागालैण्ड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर नागालैण्ड को भारत संघ से पृथक करते हुए भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा आबादी वाले क्षेत्र को मिलाकर एक संप्रभु नागालैण्ड की स्थापना करने का अपना एक घोषित लक्ष्य है;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि एन एस सी एन (के.) :

(i) एक पृथक राज्य प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय एकता को भंग करने के आशय वाली या भंग करने वाली अवैध तथा हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है;

(ii) एक पृथक राज्य प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के अन्य भूमिगत संगठनों के साथ अपना गठबंधन कर रहा है;

(iii) भारत सरकार, नागालैण्ड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश सरकारों के प्राधिकार को चुनौती देते हुए विधिविरुद्ध तथा हिंसक गतिविधियों में और लोगों के मध्य आतंक और डर फैलाने में संलिप्त रहा है;

(iv) अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों के वित्तपोषण तथा निष्पादन के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों से जबरन धन वसूली में संलिप्त रहा है;

(v) अपनी पृथकतावादी गतिविधियों को चलाने के लिए देश की सीमा के पार शिविर तथा छिपने के स्थान स्थापित कर रहा है;

और जबकि, भारत सरकार की यह राय भी है कि एन एस सी एन (के) की हिंसक एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों में ये शामिल हैं:-

(i) कोहिमा जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम के निकट असम राइफल्स के 19 कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए 26 मार्च, 2015 को चार असम राइफल्स कार्मिकों को जख्मी करना;

(ii) 26 मार्च, 2015 को लोक निर्माण विभाग कॉलोनी, वोखा शहर, जिला वोखा में बम विस्फोट द्वारा चार नागरिकों को घायल करना;

(iii) असम राइफल्स के सात जवान मारे गए एवं नौ घायल हुए, तोबु पुलिस थाने, जिला मोन के अंतर्गत चांगलांगशु ग्राम में दिनांक 3 मार्च, 2005 को नागा टेरिटोरियल आर्मी के एक सुरक्षा कर्मी भी घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया; और

(iv) चांगलांग जिला के उप मंडल जैराम के अंतर्गत 6 फरवरी, 2015 को भारत-म्यांमार सीमा पर 14वें असम राइफल्स का एक सुरक्षा कर्मी मारा गया और दो कुली भी गंभीर रूप से घायल हुए;

और जबकि केन्द्र सरकार की यह राय है कि एनएससीएन (के) की गतिविधियां भारत की एकता और अखण्डता के लिए नुकसानदेह है और यह एक विधिविरूद्ध संगठन है;

और जबकि केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि एनएससीएन (के) की विधिविरुद्ध गतिविधियों को तुरन्त नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो संगठन नई भर्ती करेगा और हिंसात्मक, आतंकवादी और पृथकतावादी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा, निधियां संग्रह करेगा ओर निर्दोष लोगों तथा सुरक्षा कार्मिकों के जीवन को खतरों में डालेगा; अत: ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें एनएससीएन (के) को तुरंत प्रभाव से विधिविरूद्ध संगठन घोषित किए जाने की आवश्यकता है;

अब, अत: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [(एनएससीएन (के)] को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करती है।

और जबकि, उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार की दृढ़ राय है कि एनएससीएन (के) को विधिविरुद्ध संगम तुरंत प्रभाव से घोषित किया जाए; तथा तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आएगी।

[सं. 11011/45/2015-एनई-V]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2648(E).—Whereas, the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [hereinafter referred to as NSCN (K)] has its professed aim to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of Indo-Myanmar region by secession from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organisations of Nagaland and North Eastern Region;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NSCN (K), has been:—

(i) indulging in illegal and violent activities intended to disrupt, or which disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate State;

(ii) aligning itself with other undergrounds outfits of the North Eastern Region in furtherance of its objectives to create a separate State;

(iii) engaging in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and the Governments of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh and spreading terror and panic among the people;

(iv) indulging in extortion of money from various sections of the society with a view to financing and executing its plans and activities;

(v) establishing camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the violent and unlawful activities of the NSCN (K) include –

(i) injuring four Assam Rifles personnel on the 26th March, 2015 by indiscriminately firing upon 19 personnel of Assam Rifles near Indira Gandhi Stadium in district Kohima;

(ii) injuring four civilians by exploding a bomb at PWD Colony, Wokha Town, district Wokha, on the 26th March, 2015;

(iii) killing seven and injuring nine Security Force personnel of Assam Rifles, killing one Security Force personnel of Naga Territorial Army in an ambush on the 3rd May, 2015, at village Changlangshu, under Tobu Police Station of district Mon; and

(iv) killing one Security Force personnel and two porters and also critically injuring nine Security Force personnel of 14th Assam Rifles at Indo-Myanmar border on 6th February, 2015, falling under Jairam Sub-division of Changlang district;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NSCN (K) are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the NSCN(K), the organisation may make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore, circumstances do exist which render it necessary to declare the NSCN (K) as an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang.)[NSCN (K)] as an unlawful association.

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NSCN (K) as an unlawful association with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 11011/45/2015-NE-V]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.